प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2020

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में नगरीय निकायों हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रूपये 8700.00 करोड़ की 5% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन हेतु) एवं 0.10% धनराशि (संस्तुति संख्या-23 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान हेतु) को छोड़कर शेष 94.9% धनराशि रूपये 8256.30 करोड़ में से धनराशि रूपये 2752.10 करोड़ शासनादेश संख्या-9 /2019/बी-2-175 /दस-2019-1/2019 दिनांक 18 अप्रैल, 2019 द्वारा तथा धनराशि रूपये 2752.10 करोड़ शासनादेश संख्या-12 /2019/बी-2-551 /दस-2019-1/2019 दिनांक 29 अगस्त, 2019 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखी गयी है।

इस प्रकार नगरीय निकायों को देय सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि की 94.9 प्रतिशत धनराशि रूपये 8256.30 करोड़ में से कुल रूपये 5504.20 करोड़ स्वीकृत किया जा चुका है तथा धनराशि रूपये 2752.10 करोड और दिया जाना शेष है।

2- उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम चार माह (माह दिसम्बर, जनवरी, फरवरी एवं मार्च) हेतु धनराशि **रूपये 2752.10** करोड़ (**दो हजार सात सौ बावन करोड़ दस लाख मात्र**) संस्तुति संख्या-53 के अनुसार नगरीय निकायों को निम्नवत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र. सं. | निकाय | स्वीकृत धनराशि (करोड़ रूपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | नगर निगमों हेतु | 1100.84 |
| 2. | नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों हेतु | 1100.84 |
| 3. | नगर पंचायतों हेतु | 550.42 |
| | योग | 2752.10 |

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों का पालन करते हुए एटी.आर. की संस्तुति संख्या-54 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निकायों को धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

क्रमशः-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) **<u>निकायों को आवंटित धनराशि चार बराबर भागों में प्रतिमाह कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध करायी जायेगी।</u>**

(3) केन्द्रीयकृत सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन अंशदान से सम्बन्धित धनराशि का भुगतान दी जा रही धनराशि में से किया जायेगा।

(4) यदि किसी निकाय के समायोजन/कटौती की धनराशि शेष है, तो सम्बन्धित निकाय को मिलने वाली उनके हिस्से की धनराशि में से समायोजन/कटौती किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि सम्बन्धित निकाय को आवंटित किया जाय।

(5) निकाय द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(6) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी ।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः-

| क्र.सं | निकाय का नाम | लेखाशीर्ष | धनराशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | नगर निगमों हेतु | ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-<br>191-नगर निगमों को सहायता-<br>03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-<br>0301-सामान्य समनुदेशन-<br>28-समनुदेशन'' | 1100.84 |
| 2. | नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु | ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-<br>192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-<br>03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-<br>0301-सामान्य समनुदेशन-<br>28-समनुदेशन'' | 1100.84 |

क्रमशः-3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र.सं | निकाय का नाम | लेखाशीर्ष | धनराशि (करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 3. | नगर पंचायतों हेतु | ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-<br>193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-<br>03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-<br>0301-सामान्य समनुदेशन-<br>28-समनुदेशन'' | 550.42 |
| | | योग | 2752.10 |

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-01/2020/बी-2-05(1)/दस-2020-1/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

5- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।